न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –122/2019 (Bank Case)

रिलाईन्स होम फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस रिलाईन्स सेन्टर साउथ विंग, छठी मंजील वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सान्ताकुज (ईस्ट) मुम्बई–400025

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. **हैदर अली,** निवासी–एम.एन.1115मैन रोड, नेहरू नगर, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन डडवाडा कॉलोनी, कोटा राजस्थान–324002
   दुसरा पता– नेशनल रेफरिजरेशन एण्ड एयर कन्डीशनर वर्कस् विहाईण्ड चमन होटल, नयापुरा गर्वमेन्ट कॉलेज, कोटा राजस्थान–324001,
   तीसरा पता– मकान नं0 15–ए, संजय नगर, गली नं0 12, डडवाडा कोटा जंक्शन, राज0 324002 (अप्रार्थी ऋणी)
2. **नूजहत हाशमी,** निवासी– एम.एन. 1115, मैन रोड, नेहरू नगर, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन डडवाडा कॉलोनी, कोटा, राज0–324002,
   दूसरा पता– मकान नं. 15–ए, संजय नगर, गली नं. 12, डडवाडा कोटा जंक्शन, राज0–324002 (अप्रार्थी ऋणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्साद्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अशोक मधुकर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रिलाईन्स होम फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस रिलाईन्स सेन्टर साउथ विंग, छठी मंजील वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सान्ताकुज (ईस्ट) मुम्बई–400025 से अप्रार्थीगण ने 1,80,000/– (अक्षरेः एक लाख, अस्सी हजार मात्र) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबंध सं. RHATKTA000053540 दिनांक 24.05.2017 को तथा रूपये 11,20,000/–(अक्षरेः रूपये ग्यारह लाख, बीस हजार मात्र) ऋण अनुंबध सं. RHATKTA000049542 के अन्तर्गत दिनांक 9.3.2017 को उपलब्ध कराई थी । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नं. 15–ए, संजय नगर, गली नं. 12, डडवाडा कोटा जंक्शन, राज0–324002 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2016 से अप्रार्थी सं0 श्रीमति नुजहत हाशमी पत्नि श्री सैयद हैदर अली के** नाम है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के अनुबंध सं. RHATKTA000053540 को दिनांक 11.4.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 1,89,920/– (अक्षरे रूपये एक लाख, नैंवासी हजार, नौ सौ बीस मात्र) दिनांक 6.6.2018 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है तथा ऋण अनुबंध सं.

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

RHATKTA000049542 को दिनांक 11.04.2018 को एन पी ए घोषित कर दिया गया व अप्रार्थीगण के ऋण खाते में रू0 11,52,595/–(अक्षरेः रूपये ग्यारह लाख, बावन हजार, पांच सौ तरानवें मात्र)दिनांक 6.6.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 14.06.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र दी इंडियन एक्सप्रेस में व हिन्दी समाचार पत्र विराट वैभव में दिनांक 15.5.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 14.06.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र दी इंडियन एक्सप्रेस में व हिन्दी समाचार पत्र विराट वैभव में दिनांक 15.5.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 14.06.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र दी इंडियन एक्सप्रेस में व हिन्दी समाचार पत्र विराट वैभव में दिनांक 15.5.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे **अचल सम्पत्ति मकान नं. 15–ए, संजय नगर, गली नं. 12, डडवाडा कोटा जंक्शन, राज0–324002 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2016 से अप्रार्थी सं0 श्रीमति नुजहत हाशमी पत्नि श्री सैयद हैदर अली के नाम है** को भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner